प्रेस नोट थाना कांट
जनपद शाहजहाँपुर

सरहानीय कार्य दिनांक – 29.05.2025

थाना कांट पुलिस टीम द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित चल रहे 25000 रुपये के इनामियाँ 01 अभियुक्त को मय घटना में प्रयुक्त 01 अदद तमंचा 315 बोर मय एक अदद खोका कारतूस सहित किया गिरफ्तार।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार, अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में, क्षेत्राधिकारी सदर के पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना कॉंट के नेतृत्व में चलाये जा रहे अभियान रोकथाम जुर्म जरायम अपराध, बरामदगी अवैध शराब, शस्त्र, मादक पदार्थ एंव चोरी, लूट, डकैती, गौ तस्कर, जिला बदर अपराधी व वांछित/वारण्टी अपराधी की गिरफ्तारी के क्रम में थाना काँट पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई।

घटना का संक्षिप्त विवरण

दिनाँक 16.03.25 को वादी धनपाल पुत्र गिरवर नि0 ग्राम कादरदादपुर उर्फ लिन्थरा , थाना काँट, जनपद शाहजहाँपुर की लिखित तहरीर के आधार पर थाना कांट पर मु0अ0सं0 134/25 धारा 191(2)/191(3)/ 190/103(1)/109(1)/131/ 115(2) /352/351(3) BNS बनाम शिवराज आदि 05 अभियुक्तों द्वारा वादी वादी के छोटे भाई राजकुमार को एक राय होकर लाठी डन्डो व हथियारों से लैस होकर जान से मारने की नियत से हमलावर होना व वादी के छोटे भाई राजकुमार की मारपीट करके हत्या कर देना तथा वादी के साथ मारपीट करना, वादी के परिवार वालो के साथ गाली गलौज करना तथा जान से मारने की धमकी देकर भाग जाने के संबंध में पंजीकृत किया गया था।

उक्त अभियोग की विवेचना प्रभारी निरीक्षक थाना काँट द्वारा सम्पादित की जा रही है। घटना कारित करने के उपरान्त फरार अभियुक्तगण की गिफ्तारी हेतु थाना स्तर पर टीम गठित कर लगातार अथक प्रयास किये जा रहे थे जिसके फलस्वरूप मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त शिवराज व 02 बाल अपचारी को पूर्व में ही मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा चुका है तथा शेष नामित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु निरन्तर प्रयास किया जा रहा था दिनांक 12.05.2025 को अभियुक्त के विरूद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त छविराम पुत्र जदुनाथ का गैरजमानती वारण्ट जारी किया गया था तथा दिनांक 26.05.25 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अभियुक्त पर 25000 रुपये का ईनाम घोषित किया गया था। आज दिनांक 29/05/2025 को अभियुक्त/वांछित तथा 25000 के इनामियाँ अभियुक्त छविराम पुत्र जदुनाथ नि0 ग्राम कादरदादपुर उर्फ लिन्थरा, थाना काँट, जनपद शाहजहाँपुर को काँट कुरिया रोड पर ग्राम गुरथना से 300 मी0 की दूरी पर ठा0 रोशन सिंह जी स्मृति द्वार के पास से समय करीब 02.05 बजे गिरफ्तार किया गया । विवेचना के दौरान अभियुक्त छविराम उपरोक्त की निशांदेही पर घटना कारित करने में प्रयोग किया गया तंमचा 315 बोर मय एक अदद खोका कारतूस (नाल मे फसा) बरामद किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

- ✓ छविराम पुत्र जदुनाथ निवासी ग्राम कादरदादपुर उर्फ लिन्थरा, थाना काँट, जनपद शाहजहाँपुर।

पंजीकृत अभियोग का विवरण

- ✓ मु0अ0सं0 134/25 धारा 191(2)/191(3)/190/103(1)/109(1)/131/115(2)/352/351(3) BNS व 3/25/27 आयुध अधिनियम

गिरफ्तारी का दिनांक, स्थान व समय

- ✓ दिनाँक 29.05.2025 ,काँट कुरिया रोड पर ग्राम गुरथना से 300 मी0 की दूरी पर ठा0 रोशन सिंह जी स्मृति द्वार के पास थाना काँट जनपद शाहजहाँपुर,

बरामदगी का विवरण

- ✓ घटना में प्रयुक्त एक अदद तमंचा 315 बोर मय एक अदद खोका कारतूस (नाल मे फसा हुआ)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

1. प्रभारी निरीक्षक श्री ब्रजेश कुमार सिंह
2. निरीक्षक अपराध श्री सत्य सिंह
3. उ0नि0 श्री विक्रम कुमार
4. हे0का0 294 इन्दल सिंह
5. हे0का0 524 अमरपाल सिंह
6. का0 2752 अनुराग सिंह